ालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

ा—पत्र संख्या :—14/2024 दायर दिनांक—30.7.2024

MS NO:- 2024/205 पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती प्रीति मीणा

1. अमरी बाई पत्नी बद्रीलाल जाति मीना नि0 काशपुरिया।
2. मुकेश आ0 बद्रीलाल जाति मीना नि0 काशपुरिया।
3. सफेदी बाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीना नि0 काशपुरिया।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः— अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः—
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 30.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गंभीरी प.म. मानपुरा मे प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 610/4 रकबा 0.8495 हैक्टयर भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीगण फसल की सूरक्षार्थ तार फैंसींग करवाना चाहते है इसलिए उक्त खसरा नम्बर 610/4 की सीमाबंदी के लिए पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 10 माह से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम गंभीरी प.म. मानपुरा मे प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 610/4 रकबा 0.8495 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू—अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ